



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज-I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/ Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/ 7206

Dt.22.08.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग

जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला - जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक - ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/146663/2021** के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:

1. आपका कार्यालय पत्रांक 7375/12-1 दिनांक 27.06.2024
2. इस कार्यालय का पत्रांक 6882 दिनांक 28.06.2024
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी कार्यालय पत्रांक 433/12-1 दिनांक 03.08.2024
4. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी कार्यालय पत्रांक 581/12-1 दिनांक 21.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भानियावाला-ऋषिकेश परियोजना हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एस0एस0 मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 433 दिनांक 03.08.2024 एवं 581 दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 40.00 हे० भूमि एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, टोपोशीट मैप, जियोरेफरेन्स मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डी0एस0एस0 रिपोर्ट एवं चयनित क्षेत्रों की के0एम0एल0 फाईल हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त संज्ञान में लाना है कि उक्त ग्रामों में से द्वारा ग्राम में वृक्षारोपण हेतु चयनित 15.0000 हे० भूमि का दिनांक 08.08.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी0एस0एस0 रिपोर्ट में संदर्भित क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। जिसके संदर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, टोपोशीट मैप, जियोरेफरेन्स मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डी0एस0एस0 रिपोर्ट एवं चयनित क्षेत्रों की के0एम0एल0 फाईल हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं साथ ही संदर्भित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये जा चुके हैं।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक
प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
4. टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जी० कं० प्रा० लि० - को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 581 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 21 / 08 / 2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
वसन्त विहार, देहरादून।

जा.रा.म.प्रा. प.का.ई-वसन्त विहार (देहरादून)
NHAI, PIU-Vasant Vihar (Dehradun)
द्वारा प्राप्त/Received by.....
सं०/No. 13782
दिनांक/Date 21/8/2024

विषय :-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/146663/2021 सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

इस कार्यालय का पत्रांक-433/12-1, दिनांक-03.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित भूमि 55 है० में से क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि 40.00 की सूचना यथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाईल सन्दर्भित पत्र से आपको प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में उपरोक्त चयनित वृक्षारोपण स्थलों (ग्राम मकडेती-10 है०, ग्राम छमरोली- 15 है० व ग्राम द्वारा-15 है०) की प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव की योजना, टोपोशीट मैप, जियोरेफरेन्स मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डी०एस०एस० रिपोर्ट समोहर हस्ताक्षरित कर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या :/12-1, तद दिनांकित

प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके पत्र संख्या-7375/12-1, दिनांक- 17 जून 2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 433 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 03 / 08 / 2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
वसन्त विहार, देहरादून।

न.रा.स.प्रा. प.का.ई-वसन्त विहार (देहरादून)
NHAI, PIU-Vasant Vihar (Dehradun)
द्वारा प्राप्त/Received by.....
फ़ॉ/No..... 13671
दिनांक/Date..... 9/08/2024

विषय :-

i- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।

ii- उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में।

- ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/146663/2021 एवं FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून का आदेश संख्या- 206/12ए-09(2023-2026) डी.एल.आर.सी., दिनांक- 13 जून 2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-77/12-1, दिनांक-04.07.2024 एवं 239/12-1, दिनांक-23.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरणों में जिलाधिकारी देहरादून के सन्दर्भित आदेश के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड को आवंटित/हस्तान्तरित की गयी है। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित भूमि का मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। रेंज अधिकारी, रायपुर रेंज व मसूरी रेंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० सं०	तहसील	गांव का नाम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (है०)	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि (है०)
1	सदर	मकडेती	14.6350	10.00
2		छमरोली	25.400	15.00
3		द्वारा	15.474	15.00
योग			55.509 है०	40.00 है०

उपरोक्तानुसार 40.00 है० भूमि जो मौके पर वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं चयनित क्षेत्रों की के०एम०एल फाईल संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार। (मूल प्रती)

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या :/12-1, तद दिनांकित

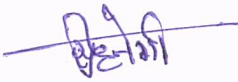
प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

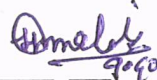
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश. कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप मसूरी रेंज के अधीन ग्राम छमरोली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 25.400 हे० के फलस्वरूप 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।



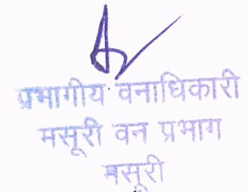
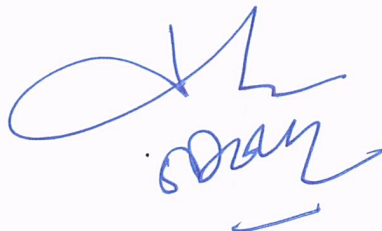
(शुरेश सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी
सिल्ला प्रथम बीट



(मौ.जियाउल हक)
वन दरोगा
सिल्ला अनुभाग



(शिव प्रसाद गैरोला)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~दमरोली~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

जिला	प्रभाग	रेंज	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	सदर	दमरोली सिविल	15.00

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्ढों में रोपित करना।

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~दमरोली~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	1914740.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	799130.00
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण	407400.00
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण	301200.00
पंचम वर्ष	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
सप्तम वर्ष	पंचम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
नवम वर्ष	सप्तम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
दसम वर्ष	अष्टम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
एकादश वर्ष	नवम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
द्वादश वर्ष	दशम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
योग		4940070.00
Say		4940000.00


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39. 6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- ~~हमरोपी~~ सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
प्रथम वर्ष - अग्रिम मृदा कार्य						
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना		15.00	प्रति हे०	238.00	3570.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना		15.00	प्रति हे०	2518.00	37770.00
3	दो वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)		16500	प्रति पौध	21.64	357060.00
4	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)		16500	प्रति गड्ढा	0.70	11550.00
5	गड्ढे खुदान (0.30cm x0.30 cm x0.45 cm)		16500	प्रति गड्ढा	13.00	214500.00
6	कन्टूर फरों का समरेखण		1500	प्रति फर	1.37	2055.00
7	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी० प्रति हे०)		1500	प्रति फर	132.00	198000.00
8	दीवाल बन्दी रनिंग मीटर - चौ०(0.60+0.45)/2 ऊ० 1.20 Mt.	1027	647.01	प्र०घ०मी०	742.00	480081.42
8	फेंसिंग कार्य करना- (प्राक्कलन संलग्न)			र०मी०	900.00	386190.00
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (3बल्ब प्र०मी०)		6162	प्रति बल्ब	2.49	15343.38
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य- (प्राक्कलन संलग्न)		15.00	प्रति हे०	11500.00	172500.00
11	निरीक्षण बटिया		15.00	प्रति हे०	1261.00	18915.00
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय।		15.00	प्रति हे०	1152.00	17280.00
योग :- प्रथम वर्ष						1914814.80
या रु-						1914740.00
द्वितीय वर्ष - रोपण कार्य						
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)		16500	प्रति पौध	3.30	54450.00
2	पौध दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित		16500	प्रति पौध	13.67	225555.00
3	कन्टूर फरो में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग दुलान सहित)		1500	प्रति फर	10	15000.00
4	कंकड़-पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण करना		16500	प्रति गड्ढा	2.35	38775.00
5	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी० ऊपर उठाकर भरण कर दबाना तथा जमाना		1500	प्रति फर	10	15000.00
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित		16500	प्रति पौध	4.42	72930.00
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा० प्रति गड्ढा)/जैविकखाद/जीवामृत/कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित		16500	प्रति पौध	1.55	25575.00
8	निराई-गुड़ाई व मल्लिंग होईग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट,पैरालाइट,फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति पौध	10.81	178365.00
9	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर		9	प्रति माह	14826.00	133434.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन/फोटोग्राफी आदि।		15	प्रति हे०	1958	29370.00
योग द्वितीय वर्ष :-						800259.00
या रु-						799130.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
तृतीय वर्ष – अनुरक्षण प्रथम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति पौध	6.76	111540.00
3	क्षतिपूर्ति रोपण (Beating up)-क्षतिपूर्ति रोपण (10 प्रतिशत तक)					
i	पौध की कीमत		1650	प्रति पौध	30.89	50968.5
ii	पौध का डुलान		1650	प्रति पौध	13.67	22555.5
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावालाबन्दी कर रोपण करना		1650	प्रति पौध	19.77	32620.5
4	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380
योग प्रथम वर्षीय अनुरक्षण :-						407401.50
या रू-						407400.00
चतुर्थ वर्ष – अनुरक्षण द्वितीय वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य		16500	प्रति पौध	6.76	111540.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण :-						301257.00
या रू-						301260.00
पंचम वर्ष – अनुरक्षण तृतीय वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग तृतीय वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रू-						189720.00
षष्ठम वर्ष – अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रू-						189717.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
सप्तम वर्ष – अनुरक्षण पंचम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य—रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग पंचम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रु—						189700.00
अष्टम वर्ष – अनुरक्षण षष्ठम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य—रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
नवम वर्ष – अनुरक्षण सप्तम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग सप्तम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
यु						189700.00
दशम वर्ष – अनुरक्षण अष्टम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
एकादश वर्ष – अनुरक्षण नवम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
द्वादश वर्ष – अनुरक्षण दशम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
कुल योग—						4940070.00
या रु—						4940000.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम—~~हमरोली~~ सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Unit	Rate	Amount (Rs)
	आर०आर० ड्राई चैकडैम निर्माण कार्य—								
1	स्थल की सफाई करना एवं चिन्हीकरण कार्य	4 x 1	8.00	3.25		104.00	Sqm	38.00	3952.00
2	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum	325.00	5687.50
3	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु पत्थरों की चिनाई करना								
	बुनियाद में	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर प्रथम भाग में	4 x 1	7.60	$\frac{(1.0+0.75)}{2}$	1.20	33.74	cum		
	हेडवाल निर्माण	4 x 2	3.50	$\frac{(0.60+0.50)}{2}$	0.50	7.70	cum		
				Total		58.94	Sqm	1736.00	102319.84
	योग—								111959.34
2	गली प्लग निर्माण कार्य—								
1	गली प्लग निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	4 x 1	3.00	0.80		9.60	Sqm	38.00	365.00
2	गली प्लग निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum	325.00	468.00
3	आर०आर० ड्राई पत्थरों की चिनाई कार्य—								
	बुनियाद में	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर में	4 x 1	2.50	$\frac{(0.6+0.45)}{2}$	1.00	5.25	cum		
				Total		6.69	Sqm	1736.00	11613.84
	योग—								12446.84
	चालखाल निर्माण कार्य—								
1	चाल—खाल निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	5 x 1	6.00	5.00		150.00	Sqm	38.00	5700.00
2	चाल—खाल हेतु भूमि खुदान, कटान कार्य—								
	मिट्टी, पत्थर कटान कर स्थल समतलीकरण करना	5 x 1	5.00	4.00	$\frac{(0+0.9)}{2}$	32.50	cum		
	मिट्टी, पत्थर कटान कर गड़ढा खोदना	5 x 1	5.00	4.00	1.00	100.00	cum		
				Total		132.50	cum	325.00	43062.50
	योग—								48762.50
	कुल योग—								173168.68
	या रू०—								172500.00

Rate Analysis for one cum masonry, Devalsari Range, Mussoorie Forest Division Cartage of Stones from 1 Km. distance

1	कोरे पत्थरों की दीवाल चिनाई कार्य मय पत्थरों की कीमत								859.00
2	100 मीटर के बाद 500 मीटर तक	95%	31	x	1	x	20		589.00
3	500 मीटर के बाद	87%	16	x	1	x	20		278.40
	Total								1726.40

प्रतिदस्तावेजित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- ~~हमरोही~~ सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

फेंसिंग कार्य का प्राक्कलन

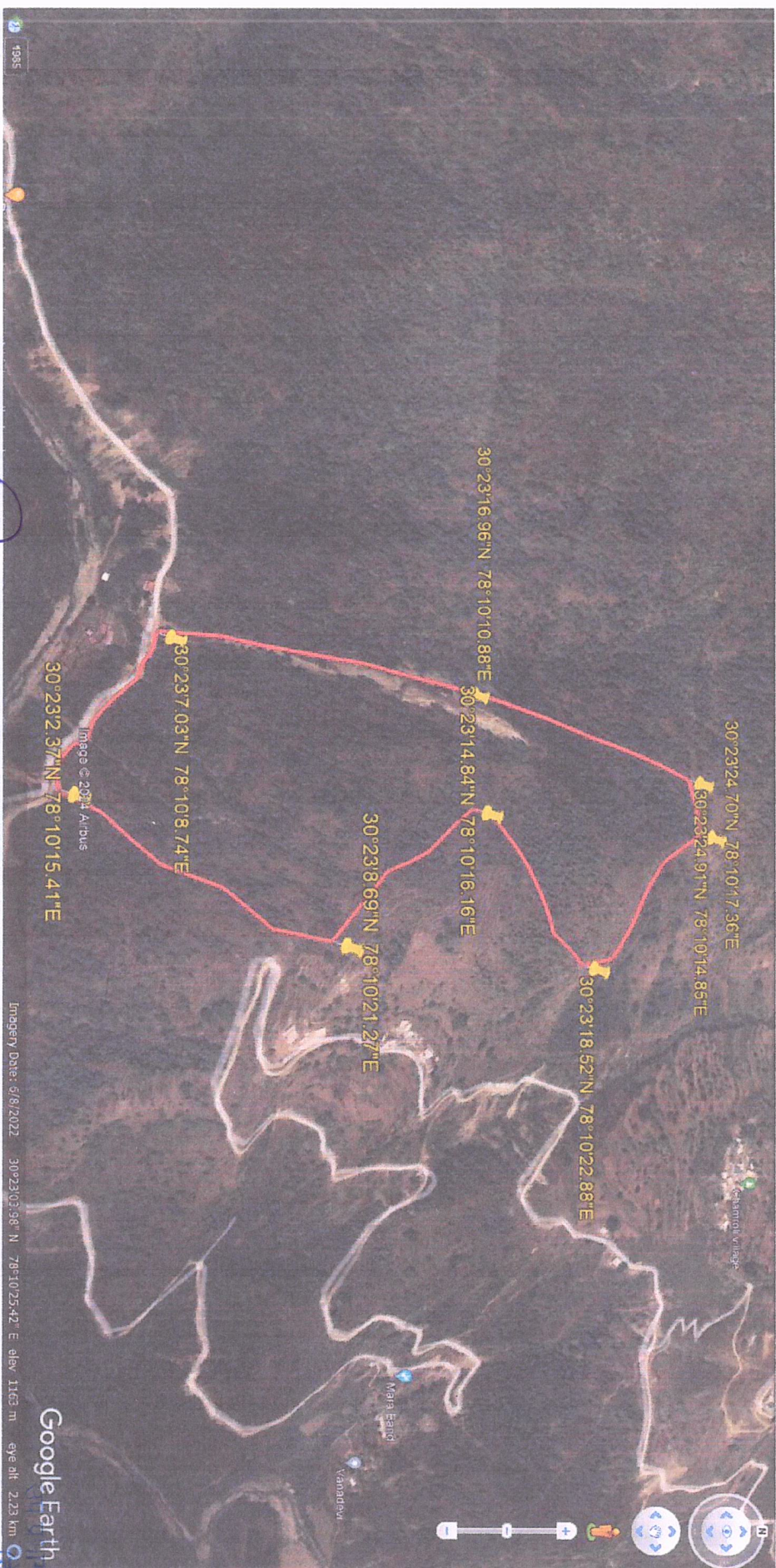
S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Rate	Amount (Rs)
3	तारबाड कार्य करना- एंगल आयरन के साथ-					900 RM		
i	GI Barbed wire fencing with 2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm placed every 3 meters center to center and provided with 3 horizontal and 2 diagonal interwoven wires, fixed with GI staples etc all complete.							
	Barbed wire fencing in 3 line	3	x	300	3.00	-	-	2700 RM
	2 diagonal	2	x	300	3.25	-	-	1950 RM
					Total			4650 RM
	Barbed wire @ 9.38 Kg per 100 meter (PWD SOR (2022-23) PM0034)					436.00 Kg	81.00 Per	35316.00
	2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm (2.10 Mt. Pol, 3.94 kg. per meter.	301	x	1	2.10	-	-	2490.00 Kg
							65.00 Per	161850.00
	Add for gl staple binding wire, drilling holes etc @ 2 percent of the cost of material.							3943.32
	Add cartage of wire and iron Posts (mechanical and Head load)							5000.00
	Total Item No. 1							206109.32
ii	एंगल गाड़ने हेतु गड़ढा खुदान कार्य करना	-	-	-	0.30	0.30	0.60	301 No
							10.56 Per	3178.56
iii	गड़ढो में 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट में एंगल आयरन गोट करना	301	x	1	0.30	0.30	0.60	16.25 Cum
							4623.60 Per	75133.50
vi	पांच लड़ में कांटेदार तार खिंचना (03 क्षैतिक व 02 कास) कम संख्या 1 के अनुसार							4650 RM
							11.00 Per	51150.00
	Total							335571.38
	Add GST @ 18% on item No. 1 & 3	206109	+	75133.50	=		281242.82	50623.71
	Total							386195.09
	Or Say							386190.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

Google Earth Pro
File Edit View Tools Add Help



Google Earth
निपुणता

(पञ्चाङ्ग)

महर्षि वन भूषा, महर्षि



~~Quesada~~
~~R.O. (M)~~

2103011
एक

Quality
अनुभव
सिखाया

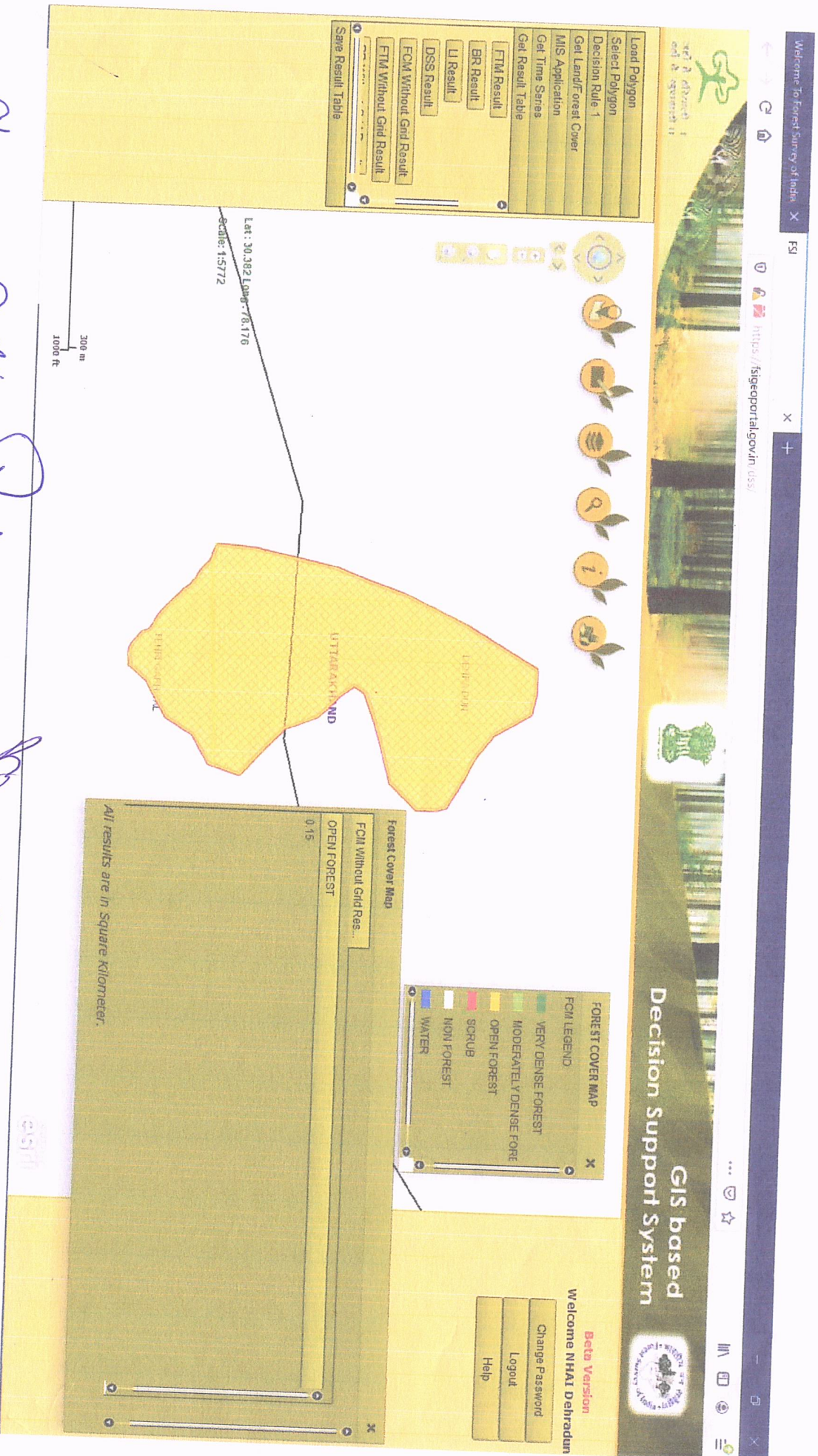
परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 बंगलुरु-बैंगलूर विहार, देहरादून
 बंगलुरु-बैंगलूर विहार, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय

முதலாம்

DSS Report



Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh

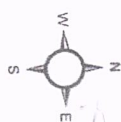
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh

Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh

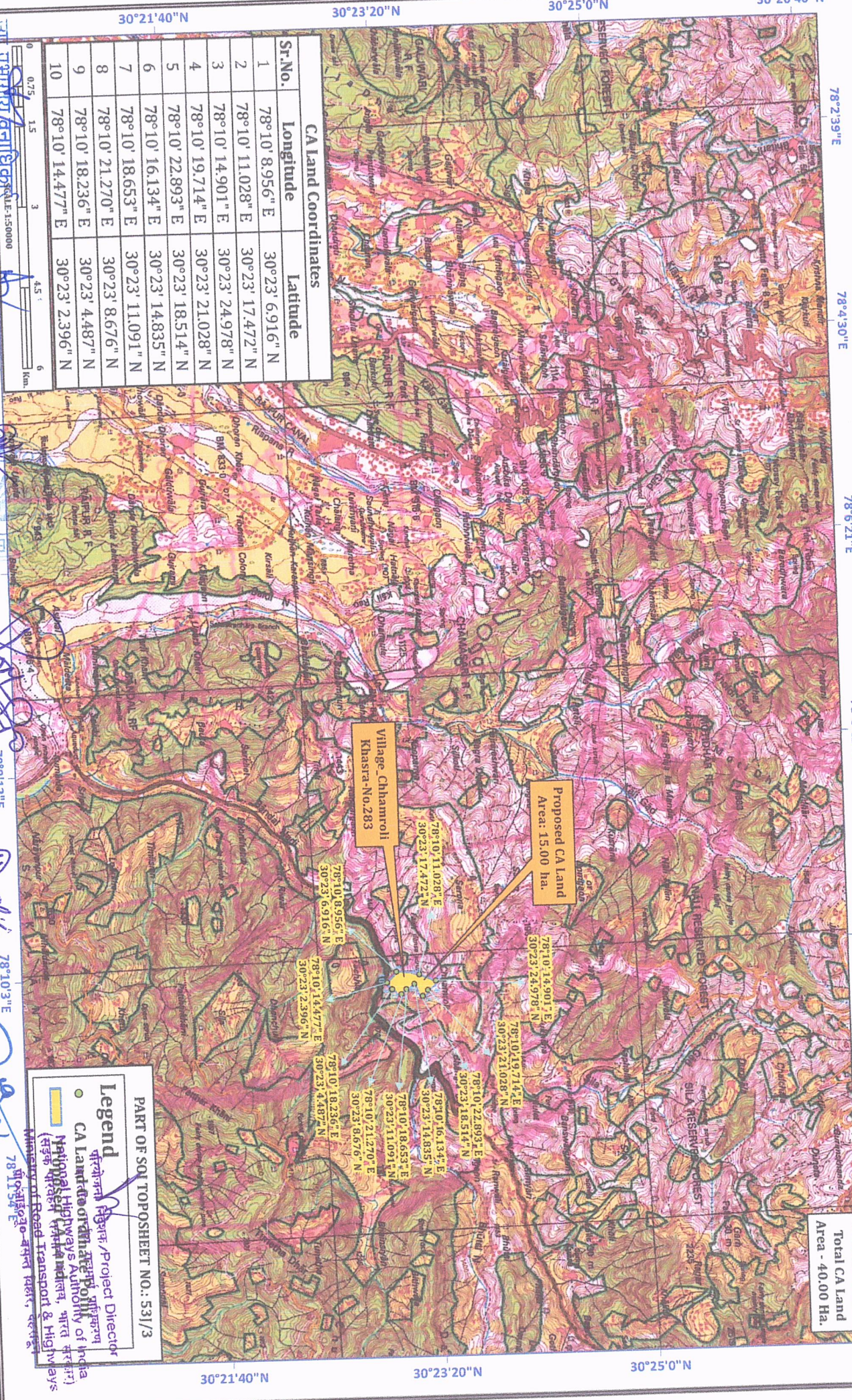
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh
Dr. O. P. Singh

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Durgam Cheruvu
 Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 8.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 18.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 8.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N



Total CA Land
Area - 40.00 Ha.

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 531/3

Legend

निदेशक/Project Director

and to coordinate point-to-point travel on the National Highways Authority of India.

City of Road Transport & Highways

78 1154 E

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhanjyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

78°9'35"E

78°10'0"E

78°10'25"E

78°10'50"E



Total CA Land
Area - 40.00 Ha.

Proposed CA Land
Area: 15.00 ha.

Village, Chhamroli
Khasra-No.283

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 8.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 18.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 8.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N

उप प्रभागीय वृक्षाधिकारी
(देहरादून)

मसूरी वन विभाग मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन विभाग

मसूरी

प्रियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
दिल्ली-110015

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

SCALE

1,600 Meters

78°9'35"E

30°22'45"N

30°23'0"N

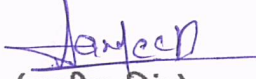
30°23'15"N

30°23'30"N

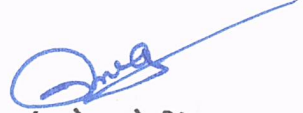
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम मखड़ेती में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 14.6350 हे० के फलस्वरूप 10.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(सन्दीप सिंह)
वन बीट अधिकारी
राजपुर बीट


(मोहबत सिंह चौहान)
वन दरोगा
राजपुर अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज




प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम मखड़ेती

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० मे)-10.00 है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	10.00	64354.00	643540.00
4	कंटूर फरों का संरेखण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्ढा	10000	0.70	7000.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	88	L.S	1012000.00
योग प्रथम चरण-					2280110.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्ढा भरण कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	10000	2.35	23500.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध ढुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	10000	357.50	35750.00
5	पौध ढुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	10.00	1958.00	19580.00
योग द्वितीय चरण-					420856.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					2700966.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयाई, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
ii	पौध का ढुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
iii	गड़ड़ा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग तृतीय चरण-	-		-	837378.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
	योग चतुर्थ चरण-	-		-	194078.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग पंचम चरण-	-		-	126478.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग छठा चरण-	-		-	126478.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग सप्तम चरण-	-		-	126478.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग अष्टम चरण-	-		-	126478.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग नवम चरण-	-		-	126478.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग दशम चरण-	-		-	126478.00
			कुल योग-		4491290.00
			या-		4487910.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(मोहबब सिंह चौहान)
वन दरोगा

Google Earth Pro
File Edit View Tools Add Help



Google Earth

Imagery Date: 6/6/2022

eye alt 1.79 um

(समस्त संशोधन)

बंग

दिस ११

रायपुर रेंज

साओ पुड डी गोवा प्रभारी वन विभाग

(सड़क परिवहन विभाग में भारत सरकार)
Road Transport & Highways

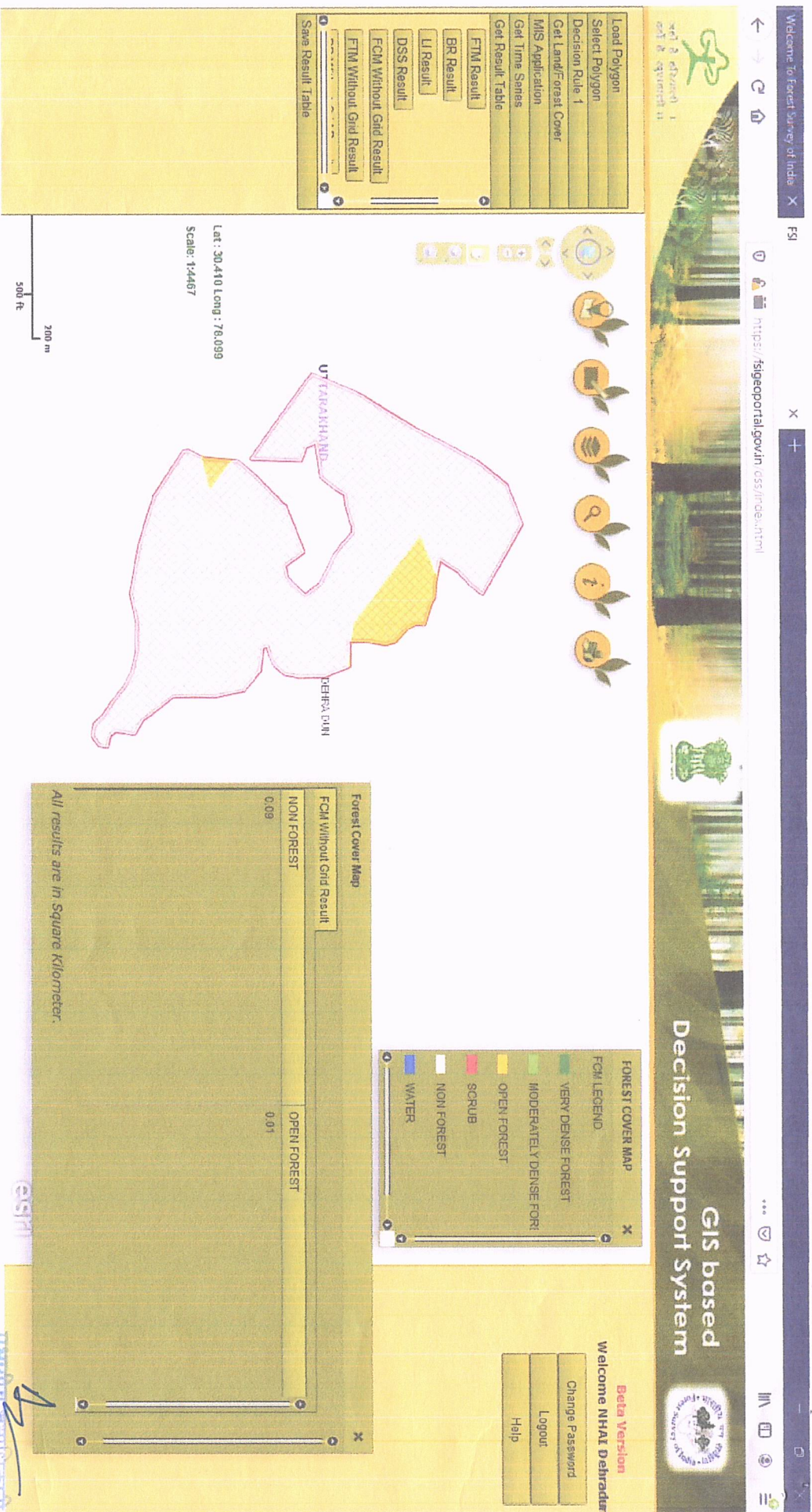
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India

सिद्धिचरण लिमिटेड
पुणे

उप प्रभागीय रचनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



DSS Report



डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

राजेश कुमार गुप्ता
 डिजाइनर/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
 रा.सू. वन प्रभाग, मसूरी

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

78°2'39"E

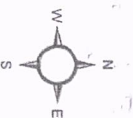
78°4'30"E

78°6'21"E

78°8'12"E

78°10'3"E

78°11'54"E



30°26'40"N

30°25'0"N

30°23'20"N

30°21'40"N

Village - Makhdeti
Kilara No. - SK, 5 ANH, 21,167 GH,168,170 KH & 182/4 KH

Total CA Land
Area - 40.00 Ha.

Proposed CA Land
Area: 10.00 ha.

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.735" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N

SCALE:1:50000

78°2'39"E

78°4'30"E

78°6'21"E

78°8'12"E

78°10'3"E

78°11'54"E

Legend

PART OF SOL TOPOSHEET NO.: 531/3

CA Band / Project Director
Nathuram Nathuram Nathuram

Ministry of Road Transport & Highways

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

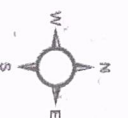
Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhanjyawaala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

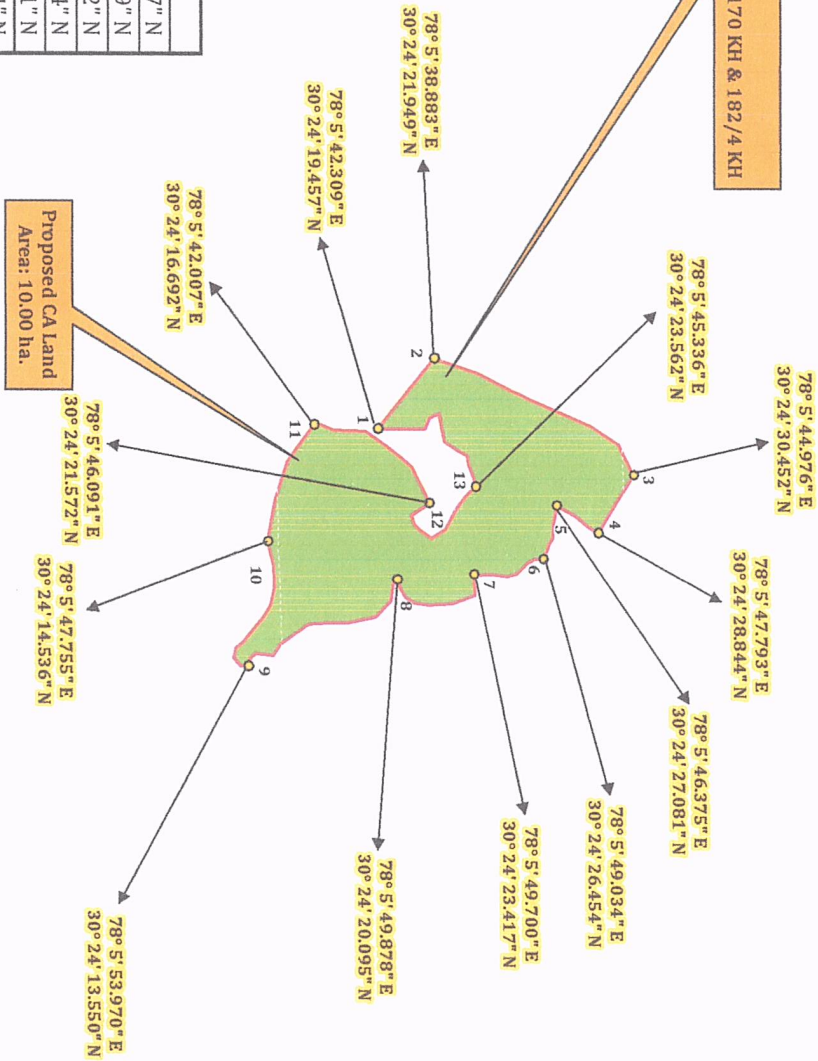
78°5'30"E

78°6'0"E

78°6'30"E



Village - Makhdeeti
Khaira No. - 5K, 5 ANH, 21,167 GH,168,170 KH & 182/4 KH



Total CA Land
Area - 40.00 Ha.

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.755" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N

0 400 800 1,600 Meters
SCALE



Project Director
National Highway Authority of India
(सड़क परिवहन विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
Government of India

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

78°5'0"E

78°5'30"E

78°6'0"E

78°6'30"E

30°24'0"N

30°24'15"N

30°24'30"N

30°24'0"N

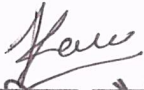
30°24'15"N

30°24'30"N

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा **II—**उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज




प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

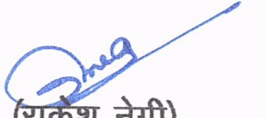
क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—1-उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08-08-2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी हुई है। जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र **Moderate Dense** आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज


S. S. S. S.


प्रमाणित वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० में)-10.00है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	10.00	64354.00	643540.00
4	कंटूर फरों का संरक्षण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड्ढों का संरक्षण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्ढा	10000	0.70	7000.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	88	L.S	1012000.00
	योग प्रथम चरण-				2280110.00
	द्वितीय वर्ष-				
1	गड्ढा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	10000	2.35	23500.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध ढुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	10000	357.50	35750.00
5	पौध ढुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	10.00	1958.00	19580.00
	योग द्वितीय चरण-	-		-	420856.00
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-	-		-	2700966.00

-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाईट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
ii	पौध का दुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग तृतीय चरण-	-		-	837378.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
	योग चतुर्थ चरण-	-		-	194078.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग पंचम चरण-	-		-	126478.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग छठा चरण-	-		-	126478.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग सप्तम चरण-	-		-	126478.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग अष्टम चरण-	-		-	126478.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग नवम चरण-	-		-	126478.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग दशम चरण-	-		-	126478.00
				कुल योग-	4491290.00
				या-	4487910.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप राजिक

प्राक्कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 5.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० में)-5.00है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	5.00	238.00	1190.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	5.00	6260.00	31300.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	5.00	64354.00	321770.00
4	कंटूर फरों का संरेखण कार्य	प्रति फर	500	1.37	685.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	500	132.00	66000.00
6	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्ढा	5000	0.70	3500.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	5000	13.00	65000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	5.00	1261.00	6305.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5000	21.64	108200.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	5.00	1152.00	5760.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	2250	1082.00	24345.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	44	L.S	505000.00
योग प्रथम चरण-					1139055.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्ढा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	5000	2.35	11750.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	500	10.00	5000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	5000	4.14	20700.00
4	पौध डुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	5000	357.50	17875.00
5	पौध डुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	5000	260.00	13000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	5000	4.42	22100.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	10.81	54050.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	5000	1.55	7750.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	4942.00	44478.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	5.00	787.00	3935.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है०	5.00	1958.00	9790.00
योग द्वितीय चरण-					210428.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					1349483.00

-तृतीय वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	5000	6.76	33800.00
3	क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	5000	30.89	154450.00
ii	पौध का ढुलान	प्रति पौध	5000	13.67	68350.00
iii	गड़ड़ा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	5000	19.77	98850.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग तृतीय चरण-	-		-	418689.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
3	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	6.76	33800.00
	योग चतुर्थ चरण-	-		-	97039.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग पंचम चरण-	-		-	63239.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग छठा चरण-	-		-	63239.00
-सप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग सप्तम चरण-	-		-	63239.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग अष्टम चरण-	-		-	63239.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग नवम चरण-	-		-	63239.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग दशम चरण-	-		-	63239.00
				कुल योग-	2244645.00
				या-	2243955.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप राजिक

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भनियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 2092क, 2091, 909, 614 एवं 607 में 10.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



(वी०ई०ओसी)
30.278

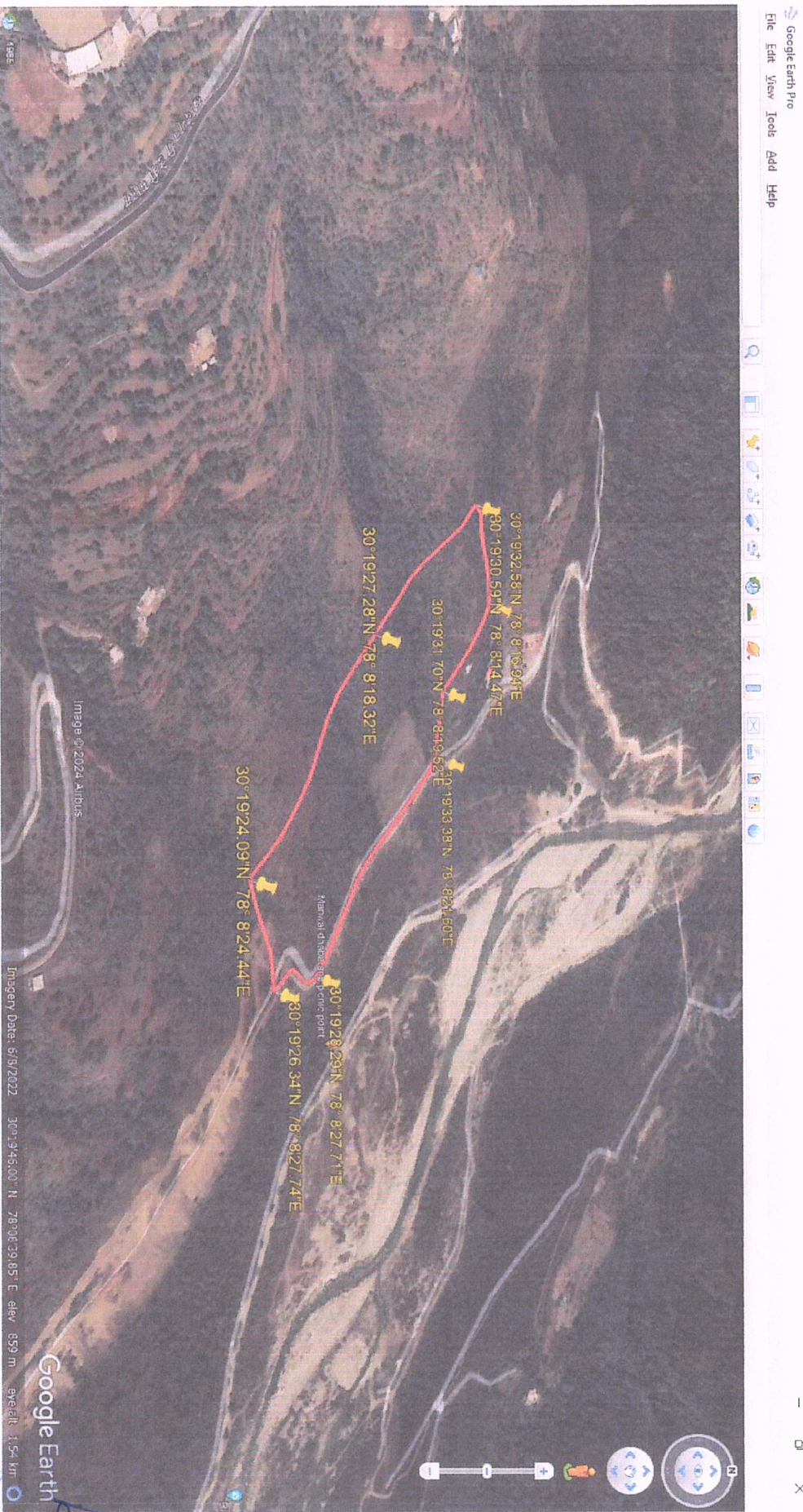
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
Government of India

उप प्रभारिता वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

उप प्रांतीय वनाधिकारी
(देहरादून)
रा.उ.रि.स.

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 614 एवं 607 में 5.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



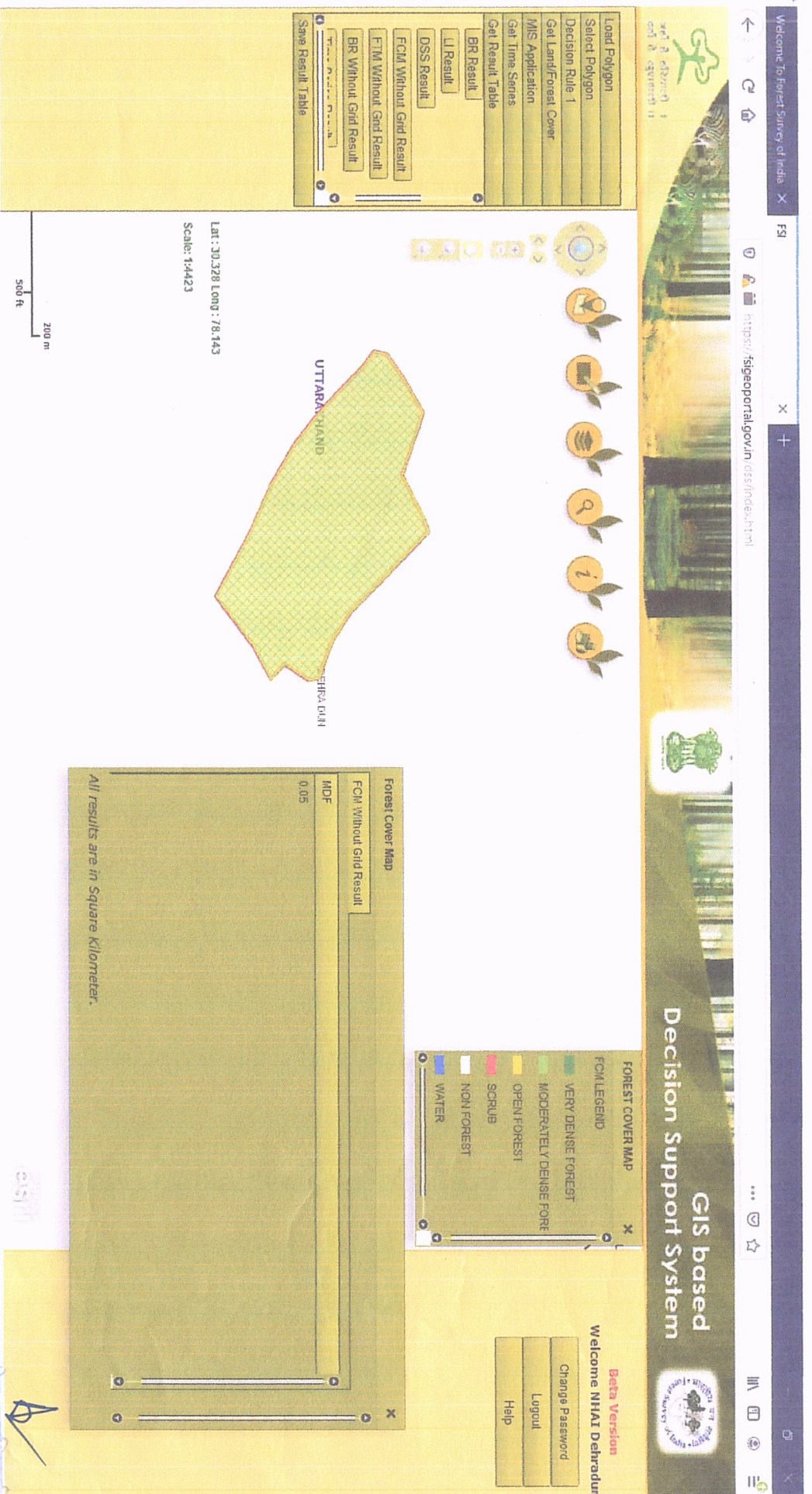
(वर्ग 329)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(National Highways Authority of India)
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, भारत सरकार
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

DSS Report



YONGA ENGINEERING CO. LTD.
32N

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
नया दिल्ली-नया दिल्ली

नया दिल्ली
नया दिल्ली

नया दिल्ली
नया दिल्ली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND
Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.
Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land Area - 40.0 Ha.

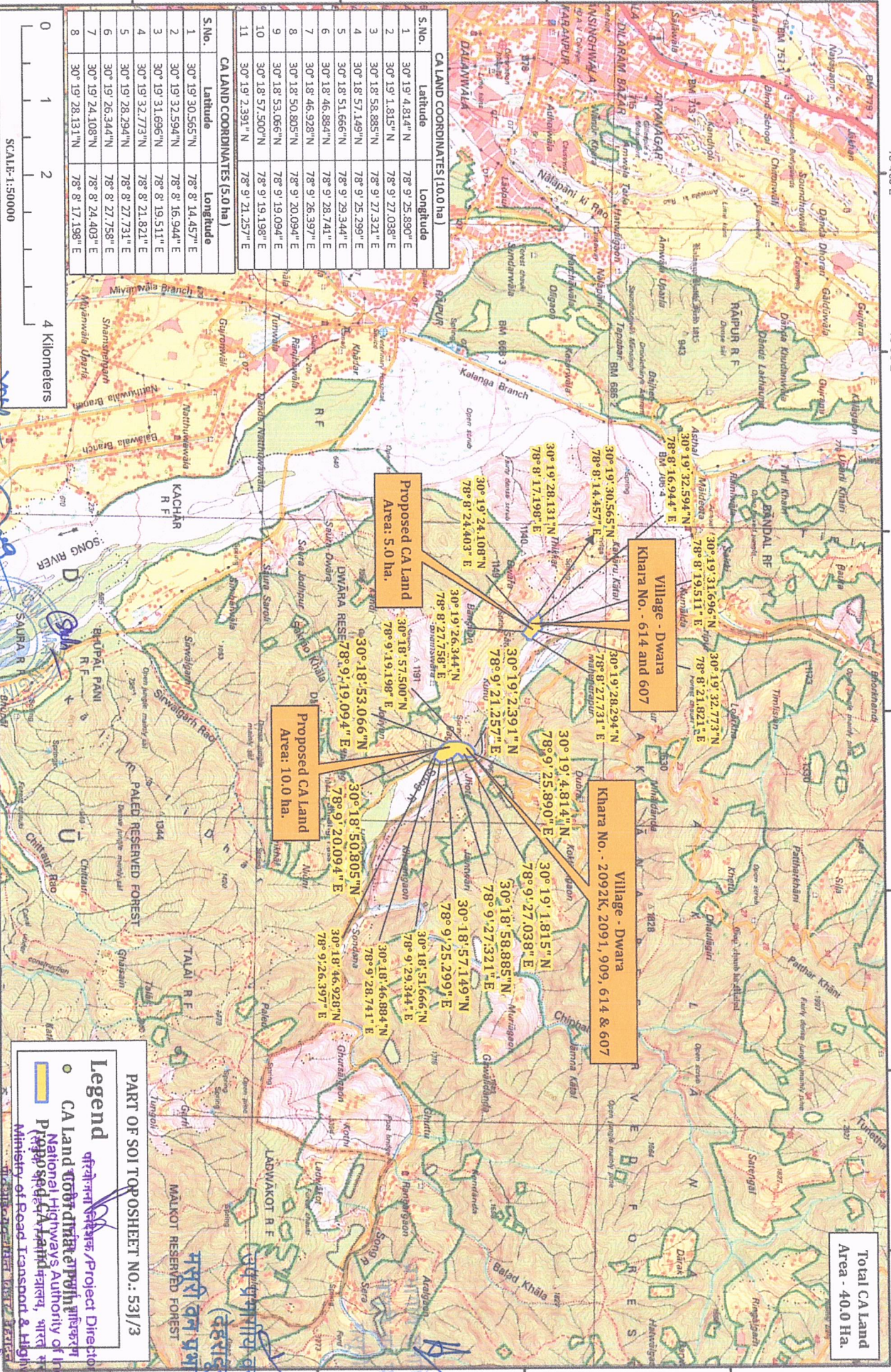
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 4.814" N	78° 9' 25.890" E
2	30° 19' 1.815" N	78° 9' 27.038" E
3	30° 18' 58.885" N	78° 9' 27.321" E
4	30° 18' 57.149" N	78° 9' 25.299" E
5	30° 18' 51.666" N	78° 9' 29.344" E
6	30° 18' 46.884" N	78° 9' 28.741" E
7	30° 18' 46.828" N	78° 9' 26.397" E
8	30° 18' 50.805" N	78° 9' 20.094" E
9	30° 18' 53.066" N	78° 9' 19.094" E
10	30° 18' 57.500" N	78° 9' 19.198" E
11	30° 19' 2.391" N	78° 9' 21.257" E

CA LAND COORDINATES (10.0 ha)

S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 30.565" N	78° 8' 14.457" E
2	30° 19' 32.594" N	78° 8' 16.944" E
3	30° 19' 31.696" N	78° 8' 19.511" E
4	30° 19' 32.773" N	78° 8' 21.821" E
5	30° 19' 28.294" N	78° 8' 27.731" E
6	30° 19' 26.344" N	78° 8' 27.758" E
7	30° 19' 24.108" N	78° 8' 24.403" E
8	30° 19' 28.131" N	78° 8' 17.198" E

CA LAND COORDINATES (5.0 ha)

S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 30.565" N	78° 8' 14.457" E
2	30° 19' 32.594" N	78° 8' 16.944" E
3	30° 19' 31.696" N	78° 8' 19.511" E
4	30° 19' 32.773" N	78° 8' 21.821" E
5	30° 19' 28.294" N	78° 8' 27.731" E
6	30° 19' 26.344" N	78° 8' 27.758" E
7	30° 19' 24.108" N	78° 8' 24.403" E
8	30° 19' 28.131" N	78° 8' 17.198" E



Proposed CA Land Area: 5.0 ha.

Proposed CA Land Area: 10.0 ha.

Village - Dwara Khara No. - 614 and 607

Village - Dwara Khara No. - 2092K, 2091, 909, 614 & 607

Legend

- CA Land (Yellow)
- National Highways Authority of India (Blue)
- Proposed CA Land (Yellow)
- Ministry of Road Transport & Highways (Blue)

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 531/3

मसुरी वन प्रभाग, मसुरी (केसरवदन)

सुदयमानाथ वनाधिकारी

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज- I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/ Bh-Rks & Jh-Ash/Forest/ 6882

Dt.28.06.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग

जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: (i) उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला - जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश किमी० 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
(ii) उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में
- ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 एवं FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ: प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 एवं 7376 दिनांक 27.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 एवं 7376 दिनांक 27.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से संदर्भित परियोजनाओं भानियावाला-ऋषिकेश एवं झाझरा-आशारोड़ी हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा छमरोली गांव में लगभग 25.4000 हेक्टेयर, द्वारा गांव में लगभग 15.8790 हेक्टेयर तथा मकड़ेती गांव में लगभग 14.6350 हेक्टेयर हस्तान्तरित की गयी भूमि की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त ग्राम छमरोली, द्वारा एवं मकड़ेती आपके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु छमरोली गांव में लगभग 25.4000 हेक्टेयर, द्वारा गांव में लगभग 15.8790 हेक्टेयर तथा मकड़ेती गांव में लगभग 14.6350 हेक्टेयर हस्तान्तरित की गयी भूमि की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार संदर्भित परियोजनाओं भानियावाला-ऋषिकेश एवं झाझरा-आशारोड़ी अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संबंधित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शालू चौहान)

प्रबन्धक (तक०)

कृते परियोजना निदेशक

प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि: टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जी० कं० प्रा० लि० - को इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रों के बिन्दु सं० 1 के संबंध में संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं बिन्दु सं० 2 के संबंध में विषयांकित परियोजना हेतु हस्तान्तरित वनीकरण स्थलों की डी०एस०एस० कराकर मानचित्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 7375/12-1

देहरादून, दिनांक

जून, 2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0)

सह परियोजना निदेशक,

प0का0ई0-वसन्त विहार (देहरादून)।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक-आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा उच्च स्तर से लगायी गयी कमियों का निराकरण की अपूर्ण सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। इसलिए आप निम्न बिंदुओं की सूचना तैयार कर प्रस्ताव को ऑफलाईन/ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित करें:-

- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा छमरोली गांव में लगभग 25.400 है0 द्वारा गांव लगभग 15.8790 है0 तथा मकड़ैती गांव में लगभग 14.6350 है0 वन भूमि चयनित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थलों की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रसंगीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराये।
- चयनित वनीकरण स्थलों की डी0एस0एस0 कराकर मानचित्रों को ऑफलाईन/ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों पर निराकरण कर शीघ्र सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रेषित अपूर्ण अपलोड किये गये सूचना के कारण प्रस्ताव आपको आनलाईन वापस किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:-

/12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को इस आशय से प्रेषित की उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आपको क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि आवंटित की गयी है। इसलिए आप वर्णित क्षेत्रों की के0एम0एल0 फाईल एवं क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।